



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273406
CG-DL-E-12062026-273406

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2924]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2924]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3030(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) और (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के, नियम 9 के, उप-नियम (1) में, "भारत के निवासी नहीं है या भारत के विदेशी नागरिक है" शब्दों के स्थान पर, "एक व्यक्ति है" रखे जाएंगे;

3. मूल नियमों के अध्याय 5 में, -

- (i) शीर्षक “अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक द्वारा निवेश” के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् -

भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान, जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक भी है।

- (ii) नियम 12 में, उपशीर्षक “एनआरआई या ओसीआई द्वारा विनिधान- एनआरआई या ओसीआई निम्नानुसार विनिधान कर सकेंगे:-” के स्थान पर, उपशीर्षक “भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत एनआरआई या ओसीआई भी है, निम्नानुसार विनिधान कर सकेंगे:-” रखा जाएगा।

- (iii) नियम 12 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति संप्रत्यावर्तन के आधार पर, अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन, सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय कर सकेगा।

परंतु भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान को, जिसके परिणामस्वरूप सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण का अंतरण किसी ऐसे देश की संस्थाओं या नागरिकों को होता है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है या जहां ऐसे विनिधान का फ़ायदाप्रद स्वामी ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।;

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- क) ‘एक भारतीय कंपनी का स्वामित्व’ का वही अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 23 के अधीन यथा निर्दिष्ट है।
- ख) “फ़ायदाप्रद स्वामी” का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (चक) में दिया गया है, और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(iv) नियम 13 में, -

- (क) उपशीर्षक “एनआरआई या ओसीआई द्वारा साम्या लिखतों का अंतरण” के स्थान पर उपशीर्षक “भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत एनआरआई या ओसीआई भी हैं, द्वारा साम्या लिखतों का हस्तांतरण” रखा जाएगा;

- (ख) “इन नियमों के अनुसार” शब्दों से आरम्भ होने वाले और “अन्तरित कर सकेंगे” शब्दों पर समाप्त होने वाले, प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् - “इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या यूनिटों की साम्या लिखतों को धारण करने वाला भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, इन नियमों की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में और उसके अधीन उपबन्धित निबंधनों और शर्तों के अधीन, उसके द्वारा इस प्रकार धारित साम्या लिखतों या यूनिटों को अन्तरित कर सकेगा:”

- (ग) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1) संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या यूनिटों की साम्या लिखतों को धारण करने वाला भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति को, उन्हें भी बाहर के किसी व्यक्ति को विक्रय या दान के माध्यम से अंतरण कर सकेगा;

परंतु यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है तो उस दशा में किसी अंतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा अंतरण, जिसके परिणामस्वरूप सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण का अंतरण किसी ऐसे देश की संस्थाओं या नागरिकों को होता है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है या जहां ऐसे विनिधान का फ़ायदाप्रद स्वामी ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, तो सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- क) 'भारतीय कंपनी का स्वामित्व' का वही अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 23 के अधीन परिभाषित किया गया है।
- ख) "फ़ायदाप्रद स्वामी" का अर्थ वही होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (चक) में दिया गया है, और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।"

4. मूल नियमों में, अनुसूची 2 में, पैरा (1) में उप-पैरा (क) के खंड (i) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु अनुसूची 2, 3 या इन नियमों की किसी अन्य अनुसूची के अधीन किसी विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानक की कुल धृति, जिसमें इस अनुसूची के अधीन एक विनिधानक समूह के माध्यम से, एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में सम्मिलित है, उपरोक्त विहित व्यक्तिगत सीमा से कम होगी और दस प्रतिशत या उससे अधिक के विनिधान के मामले में, इस अनुसूची के पैरा (1) के उप-पैरा (क) के खंड (iii) के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति " विनिधानकर्ता समूह" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन दिया गया है।"

5. मूल नियमों में, अनुसूची 3 में,

- (i) शीर्षक, "अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई)" शब्दों के स्थान पर, "भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) भी हैं" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) अनुसूची 3 में, पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

"(1) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का क्रय या विक्रय

भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर संप्रत्यावर्तन के आधार पर किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रय या विक्रय कर सकेगा: -

- (क) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए एक प्राधिकृत डीलर द्वारा नामोदिष्ट शाखा के माध्यम से साम्य लिखत का क्रय और विक्रय कर सकेगा;
- (ख) भारत से बाहर निवासी किसी भी व्यक्ति द्वारा कुल धृति पूर्ण तरलता के आधार पर समादत्त साधारण पूंजी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी ये डिबेंचरों या अधिमान शेयरों या शेयर वारंटों की प्रत्येक

शुंखला के समस्त मूल्य के दस प्रतिशत से कम होगी और इस अनुसूची के अधीन भारतीय कंपनी में एक साथ रखी गई भारत से बाहर निवासी सभी व्यक्तियों की कुल धृतियाँ पूर्ण तरलता के आधार पर कुल समादत्त साधारण पूंजी के चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या डिबेंचरों या अधिमान शेयरों या शेयर वारंटों की प्रत्येक शुंखला के चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु अनुसूची 2, 3 या इन नियमों की किसी अन्य अनुसूची के अधीन एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में भारत से बाहर निवासी व्यक्ति की कुल धृति, दस प्रतिशत से कम की उपर्युक्त विहित व्यक्तिगत सीमा से कम होगी और दस प्रतिशत या उससे अधिक के विनिधान के मामले में, इस अनुसूची के पैरा (1) में उप- पैरा (क) में खंड (ग) के उपबंध लागू होंगे;

(ग) इन नियमों के अधीन भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा दस प्रतिशत से कम की विहित सीमा का उल्लंघन करते हुए किए गए विनिधान को उल्लंघन करने वाले ट्रेडों के निपटान की तारीख से पांच ट्रेडिंग दिनों के भीतर निनिर्हित करना अपेक्षित होगा। यदि भारत से बाहर निवासी व्यक्ति निनिर्हित नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो भारत से बाहर के निवासी ऐसे व्यक्ति द्वारा संबंधित कंपनी में पूरे विनिधान को प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान (एफडीआई) माना जाएगा और भारत के बाहर के निवासी ऐसा व्यक्ति संबंधित कंपनी में आगे पोर्टफोलियो विनिधान नहीं करेगा। भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, प्राधिकृत डीलर की नामित शाखा के माध्यम से, उल्लंघन का कारण बनने वाले ट्रेडों के निपटान की तारीख से सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर निक्षेपकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित कंपनी के ध्यान में इसे लाएगा। भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा धृति को विनिहित और विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान का एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकरण, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (एफपीआई) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा। विहित समय के भीतर अधिग्रहण और बिक्री या एफडीआई में संपरिवर्तन के बीच की अवधि के लिए ऐसे अधिग्रहण के कारण उक्त कुल या क्षेत्रीय सीमा के उल्लंघन को इन नियमों के अधीन उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा।

[फा. सं. 1/11/2025-ईएम]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में सं. का.आ.3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के माध्यम से संशोधित किया गया:

- (i) का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2019;
- (ii) का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020;
- (iii) का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020;
- (iv) का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2020;
- (v) का.आ. 4441 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2020;
- (vi) का.आ. 3206 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2021;
- (vii) का.आ. 3411 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2021;
- (viii) का.आ. 4091 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 2021;
- (ix) का.आ. 4242 (अ), तारीख 12 अक्टूबर 2021;
- (x) का.आ. 1802 (अ), तारीख 12 अप्रैल 2022;
- (xi) का.आ. 332 (अ), तारीख 24 जनवरी 2024;

- (xii) का.आ. 1361 (अ), तारीख 14 मार्च 2024;
 (xiii) का.आ. 1722 (अ), तारीख 16 अप्रैल 2024;
 (xiv) का.आ. 3492 (अ), तारीख 16 अगस्त 2024; तथा
 (xv) का.आ. 2549 (अ), तारीख 11 जून 2025
 (xvi) का.आ. 2174(अ), तारीख 1 मई 2026 और 2 मई 2026 को प्रकाशित
 (xvii) का.आ. 2186(अ) तारीख 2 मई 2026

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3030(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely: —

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 9, in sub-rule (1), for the words “a non-resident Indian or an overseas citizen of India”, the words “an individual” shall be substituted;

3. In the principal rules, in chapter V, -

(i) for the heading “**INVESTMENT BY NON-RESIDENT INDIAN OR AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA**”, the following heading shall be substituted, namely –

INVESTMENT BY AN INDIVIDUAL PERSON RESIDENT OUTSIDE INDIA INCLUDING A NON-RESIDENT INDIAN OR AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA

(ii) in rule 12, for the sub-heading “**Investment by NRI or OCI - A NRI or an OCI may make investments as under:-**”, the sub-heading “**An individual person resident outside India including a NRI or an OCI may make investments as under:-**” shall be substituted.

(iii) in rule 12, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) An individual person resident outside India may, on repatriation basis, purchase or sell equity instruments of a listed Indian company and other securities in the manner and subject to the terms and conditions as specified in Schedule III:

Provided that investment by an individual person resident outside India which results in transfer of ownership or control of the listed Indian company to entities or citizens of a country which shares land border with India or where beneficial owner of such investment is a citizen of any such country, shall require the prior approval of the Government.;

Explanation: - For the purpose of this rule,-

(a) “ownership of an Indian Company” shall have the same meaning as referred under rule 23 of these rules;

(b) “beneficial owner” shall have the same meaning as assigned to it in clause (fa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), and shall be determined as per the criteria specified under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, made under the said Act; ”

(iv) in rule 13, -

- (a) for the sub-heading “**Transfer of equity instruments by NRI or OCI**”, the sub-heading “**Transfer of equity instruments by an individual person resident outside India including a NRI or an OCI**” shall be substituted;
- (b) for the opening portion beginning with words “An NRI or an OCI holding equity instruments” and ending with words “prescribed hereunder”, the following shall be substituted, namely – “An individual person resident outside India holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules may transfer such equity instruments or units so held by him in compliance with the conditions, if any, specified in the Schedules of these rules and subject to the terms and conditions provided hereunder:”
- (c) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) An individual person resident outside India holding equity instruments of an Indian company or units on repatriation basis may transfer the same by way of sale or gift to any person resident outside India:

Provided that prior Government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires Government approval:

Provided further that the transfer made to an individual person resident outside India which results in transfer of ownership or control of the listed Indian company to entities or citizens of a country which shares land border with India or where the beneficial owner of such investment is a citizen of any such country, shall require the prior approval of the Government.

Explanation:- For the purposes of this rule, -

- (a) “ownership of an Indian Company” shall have the same meaning as defined under rule 23 of these rules;
- (b) “beneficial owner” shall have the same meaning as assigned to it in clause (fa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), and shall be determined as per the criteria specified under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, made under the said Act;”

4. In the principal rules, in Schedule II, in paragraph (1), in sub-para (a) in clause (i), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that total holding of a foreign portfolio investor under schedule II, III or any other schedule of these rules, including through an investor group under this schedule, in a listed Indian company, shall be less than the above prescribed individual limit and in case of investment of ten per cent or more, the provisions of clause (iii) of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of this schedule shall apply.

Explanation: For the purposes of this schedule, the expression “investor group” shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, as amended from time to time.”

5. In the principal rules, in Schedule III, -

- (i) in the heading, for the words “Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI)”, the words “an individual person resident outside India including a Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) shall be substituted;
- (ii) in Schedule III, for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) Purchase or sale of equity instruments of a listed Indian company

An individual person resident outside India may purchase or sell equity instruments of a listed Indian company on repatriation basis, on a recognised stock exchange in India, subject to the following conditions, namely :-

- (a) An individual person resident outside India may purchase and sell equity instruments through a branch designated by an Authorized Dealer for the purpose;
- (b) The total holding by any individual person resident outside India shall be less than ten per cent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or shall be less than ten per cent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants issued by an Indian company and the total holdings of all individual person resident outside India put together in the Indian company under this schedule shall not exceed twenty four per cent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or shall not exceed twenty four per cent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants:

Provided that total holding of an individual person resident outside India in a listed Indian company under schedule II, III or any other schedule of these rules, shall be less than the above prescribed individual limit of less than

ten per cent and in case of investment of ten per cent or more, the provisions of clause (c) of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of this schedule shall apply;

- (c) Investment made by an individual person resident outside India under these rules in breach of the prescribed limit of less than ten per cent shall be required to be divested within five trading days from the date of settlement of the trades causing the breach. In case the individual person resident outside India chooses not to divest, then the entire investment in the concerned company by such individual person resident outside India shall be considered as foreign direct investment (FDI) and such individual person resident outside India shall not make further portfolio investment in the company concerned. The individual person resident outside India, through the designated branch of Authorized Dealer, shall bring the same to the notice of the depositories as well as the concerned company, within seven trading days from the date of settlement of the trades causing the breach. The divestment of holdings by the individual person resident outside India and the reclassification of foreign portfolio investment as FDI, shall be subject to the same conditions as specified by Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank for a foreign portfolio investor (FPI). The breach of the said aggregate or sectoral limit on account of such acquisition for the period between the acquisition and sale or conversion to FDI within the prescribed time, shall not be reckoned as a contravention under these rules.”

[F. No. 1/11/2025-EM]

Dr. ALOK TIWARI, Jt. Secy.

Note: The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3. Sub-section (ii) vide number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide the following notification numbers:

- (i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;
- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;
- (iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;
- (iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;
- (v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;
- (vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;
- (vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;
- (viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;
- (ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;
- (x) S.O. 1802 (E), dated 12th April 2022;
- (xi) S.O. 332 (E), dated 24th January 2024;
- (xii) S.O. 1361 (E), dated 14th March 2024;
- (xiii) S.O. 1722 (E), dated 16th April 2024;
- (xiv) S.O. 3492 (E), dated 16th August 2024; and
- (xv) S.O. 2549 (E), dated 11th June 2025
- (xvi) S.O. 2174(E), dated 1st May 2026 and published on 2nd May 2026
- (xvii) S.O. 2186(E) dated 2nd May 2026